संख्या:864/2023/2694/35-4-2023/35-4/21/2021

प्रेषक,

जे0एल0यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शाहजहॉपुर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 19 अक्टूबर, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-शाहजहॉपुर की विधान सभा क्षेत्र-कटरा में शासनादेश संख्या- 447/2021/2324 /35-4-2021, दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से सम्बन्धित 11 कार्यों की रू0 294.04 लाख (12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते धनराशि रू. 163.20 लाख अवमुक्त की गयी थी। जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा पत्र संख्या-1282/अं0स0/त्व0आ0वि0यो0-21/जी0एस0टी0/2021-22 दिनांक 16 अगस्त, 2023 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 13.12.2021 द्वारा स्वीकृत कार्यों में से 10 कार्यों हेतु जी0एस0टी0 की दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप स्वीकृत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि के स्थान पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की दर के अनुसार रू. 11.70 लाख की माँग की संस्तुति की गयी है। एतदद्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत कार्यों में से जनपद की मांग के अनुसार 10 कार्यों हेतु बढ़ी हुई 06 प्रतिशत जी0एस0टी0 के सापेक्ष रू 11.70 लाख (रूपए ग्यारह लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी एवं उक्त सन्दर्भित शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जायें।

2- प्रश्नगत कार्यों हेतु 06 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 11,70,000/- (रूपए ग्यारह लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 040 **लेखाशीर्षक** 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जे0एल0यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या:864/2023/2694(1)/35-4-2023/35-4/21/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायक्त. बरेली मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहॉपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, शाहजहॉपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी. शाहजहॉपर।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, शाहजहॉपुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।